जरिए ईमेल/ दस्ती/रजिस्टर्ड

हुजुर मेरी पुकार सुनो !

न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए !

पत्रांक :-- राव / प्र.सू.रि/**209/** 2026 दिनांक :- 28 जुलाई, 2026

सेवा में,

श्रीमान थानाधिकारी महोदय,
पुलिस थाना-कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़,राज.

विषय: लोक सेवको द्वारा मिथ्या रिकार्ड एवं झूठे अभिलेख प्रस्तुत करने इत्तिला तहत धारा-173(1) B.N.S.S., 2023 सहपठित धारा-31(1) राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 बाबत संज्ञेय अपराध पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज करवाने |

बाजुर्म धारा- भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा-61(2),198, 199(a), 201, 228 255, 316(2), 318(4) { Old IPC की धारा 34,166, 166क,167,192,217.406,420) और धारा 9 - लोक अभिलेख अधिनियम 1993

अपराध स्थल-

१.कार्यालय, नेमसिंह, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय) जिला- कोटपूतली-बहरोड़ राज. और

२. कार्यालय, प्रभारी, आरटीआई शाखा, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.)

सन्दर्भ : अरुण सिंह, तत्कालीन अभिलेख संरक्षक एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना बानसूर, जिला -कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा पारित आदेश संख्यांक-991-92 दिनांक-15.04.2024. & आदेश संख्यांक-994 दिनांक-15.04.2024. प्राप्ति दिनांक 26.04.2024. द्वारा (प्रतिवादीगण -1 व 2 के माध्यम से) के सन्दर्भ में |

विरुद्ध : 1 नेमसिंह, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोटपूतली-बहरोड़ (राज)

2 प्रभारी, आरटीआई शाखा, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.)

3 अरुण सिंह, तत्कालीन अभिलेख संरक्षक एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना बानसूर, जिला -कोटपूतली-बहरोड़(राज.)।

4 सुभाष चंद कंप्यूटर ऑपरेटर कानिस्टेबल संख्या-960/2186, पुलिस थाना-बानसूर, जिला: कोटपूतली-बहरोड़, (राज.)।

5.अन्य संबंधित लोक सेवक, जिनकी पहचान बाद जाँच द्वारा अभिलेख तलब करने के पश्चात स्पष्ट होगी।

महोदय,

परिवादी की जानिब से यह परिवाद पत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश है :

1. यह कि परिवादी एक विधि का पालन करने वाला जागरूक नागरिक एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जनहित के विषयों को उठाने वाला व्यक्ति है।
2. यह कि पुलिस थाना बानसूर में FIR क्रमांक 434/2022 धारा 376 एवं 506 IPC के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
3. यह कि उक्त प्राथमिकी की निष्पक्ष विवेचना के उपरांत पुलिस ने स्वयं उक्त प्रकरण को "अदम वकू आमदन झूठ" पाते हुए अंतिम रिपोर्ट क्रमांक 668/2022 दिनांक 11.10.2022 न्यायालय में प्रस्तुत की।

4. यह कि माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर ने दिनांक 19.07.2023 को उक्त अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिससे यह स्पष्ट हुआ यह कि विवेचना में आरोप सिद्ध नहीं पाए गए।
5. यह कि पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा पत्र क्रमांक 8116 दिनांक 07.10.2022 के माध्यम से शिकायतकर्ता के विरुद्ध धारा 182 एवं 211 IPC के अंतर्गत विधिक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए थे।
6. यह कि प्रार्थी/परिवादी ने अपने पत्रांक - जरिए इमेल/ राव/ परिवाद / **083** / 2024 दिनांक 29 फरवरी, 2024 पुलिस अधीक्षक महोदया, कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड राज० को एक परिवाद *विषय : पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड़ पर झूठी F.I.R. संख्या- 434 / 2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी. में दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एवं निर्दोष नागरिक को बेक़सूर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते FIR करने वाली संतोष देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह पुत्री श्री पूरण सिंह एवं उसके झूठे गवाह के विरुद्ध धारा 182, 211 आई.पी.सी. में विधिक कार्रवाई करने के विषय में* , कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला अलवर राजस्थान का पत्र क्रमांक: अप/ अल/म.अ./22 / 8116 दिनांक 07/10/2022 के संदर्भ में जरिये ईमेल आईडी raodhanbeersingh@ gmail.com से spkotputlibehror@gmail.com पर समय 7:15 PM पर प्रेषित किया गया था।
7. यह कि जिस पर कार्यवाही बाबत प्रार्थी/परिवादी नें सूचना का अधिकार विनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्रांक- राव / आरटीआई / **102** /2024 दिनांक 21 मार्च, 2024 को जरिये ईमेल आई डी raodhanbeersingh@gmail.com से addlspktpbhr@gmail.com पर समय 02:53 PM पर प्रेषित करके प्रतिवादीगण -1 व 2 के माध्यम से बिंदु संख्या - ए. कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड़ राज., बी.- उप पुलिस अधीक्षक बानसूर तथा सी. - पुलिस थाना बानसूर जिला कोटपुतली-बहरोड़ से सूचना चाही थी ।
8. यह कि जिस पर अनुरोधित सूचना / रिकॉर्ड प्रतिवादीगण - 1 के द्वारा जारी पत्राक1299-1300 दिनांक 16.04.2024 के द्वारा मुझ प्रार्थी/परिवादी से 06 पेजों के नियमानुसार ₹2/= प्रति पेज के हिसाब से ₹12/= मुझ प्रार्थी/परिवादी से चाहे गए ।
9. यह कि मुझ प्रार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2024 को ईग्रास चालान संख्या- GRN: 0088635344 Payment Date: 25/04/2024 06:53:23 के माध्यम से जमा कराने के बाद दिनांक 25 अप्रैल 2024 को प्राप्त हुई।
10. यह कि उक्त 12 पेज में अरुण सिंह उपनिरीक्षक तत्कालीन थाना अधिकारी बानसूर द्वारा जारी पत्र संख्या- 994 दिनांक 25 अप्रैल 2024 प्राप्त हुआ ।
11. यह कि अरुण सिंह उपनिरीक्षक द्वारा (सुभाष चंद कंप्यूटर ऑपरेटर कानिस्टेबल संख्या-960/2186, पुलिस थाना-बानसूर से टाईप करा कर) जारी पत्र संख्या- 994 दिनांक 15/04/2024 के द्वारा जवाब में लिखा गया कि........... ***मुकदमा संख्या 434 2022 की परिवादिया के खिलाफ इस्तगासा अंतर्गत धारा 182, 211 आईपीसी जरिये डिस्पैच नं. 991 - 92 श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायैक मजिस्ट्रेट महोदय बानसूर के समक्ष पेश किया जा चुका है ।***
12. यह कि उक्त इस्तगासा संख्या-991-92 दिनांक 15/04/2024 भी मेरे द्वारा अरुण सिंह उपनिरीक्षक तत्कालीन थाना अधिकारी बानसूर से प्राप्त किया ।

13. यह कि इसके पश्चात पुलिस विभाग की ओर से यह आधिकारिक सूचना प्रसारित की गई कि डिस्पैच संख्या 991-92 दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से धारा 182 एवं 211 IPC का इस्तगासा माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।
14. यह कि परिवादी को उक्त कथन की सत्यता पर संदेह होने पर उसने मा० न्यायालय के अभिलेख संरक्षक को संबोधित आवेदन जरिए इमेल पत्रांक- राव /भा.सा.अधि./ 172 /2026 तारीखी- 11 जून, 2026 समय 04:41 PM प्रेषित मेरे टंकित (आवेदन शुल्क रु 10/= रुपए तथा ₹50/= रुपए प्रतिलिपि + पोस्टल शुल्क के कुल राशि ₹60/= जरिए ई - ग्रास चालान GRN: 0124971145 Payment Date: 11/06/2026 12:08:50) आवेदन वांछित लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ मांगीं, जिनमें कथित इस्तगासा, शिकायत रजिस्टर तथा संबंधित प्रविष्टियाँ सम्मिलित थीं।
15. यह कि उक्त आवेदन पर मा० न्यायालय के अभिलेख संरक्षक के द्वारा पत्रांक-777 दिनांक- 16 जून, 2026 लिखा गया कि ***ऐसा कोई इस्तगासा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। न ही दर्ज है।*** **अतः प्रति उपलब्ध नहीं है।**
16. यह कि उपलब्ध न्यायालयीन अभिलेखों से विवाद उत्पन्न हुआ कि पुलिस (प्रतिवादीगणो) द्वारा जिस इस्तगासा संख्या-991-92 दिनांक 15/04/2024 को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना बताया गया, उसका न्यायालयीन रिकॉर्ड में दिनांक 16 जून, 2026 तक भी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में परिवादी न्यायालय के प्रमाणित अभिलेखों पर भरोसा करता है।
17. यह कि न्यायालय के अभिलेखों में उक्त प्रस्तुतीकरण (इस्तगासा संख्या-991-92 दिनांक 15/04/2024) का अभाव सिद्ध होता है, तो पुलिस (प्रतिवादीगणो) पत्राचार में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतीकरण का उल्लेख असत्य सिद्ध होता है।
18. यह कि लोक सेवको (प्रतिवादीगणो) द्वारा न्यायालय के संबंध में असत्य तथ्य का उल्लेख न्याय प्रशासन की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
19. यह कि इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों (प्रतिवादीगणो) ने अपने वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया तथा अपने व्यक्तिगत हितो के लिए न्यायालय के संबंध में गलत

अतः दरपेश गुजारिश है कि उक्त अभियुक्तगणों **{** १. नेमसिंह, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय) जिला- कोटपूतली-बहरोड़ राज. ,२.प्रभारी, आरटीआई शाखा, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोटपूतली बहरोड (राज.), ३. अरुण सिंह, तत्कालीन अभिलेख संरक्षक एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना बानसूर, जिला -कोटपूतली- बहरोड़ तथा आपराधिक षड्यंत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अन्यो **}** के खिलाफ अजरूय दफा मुकद्दमा दर्ज करने की मेहरबानी फरमावें ताकि उन्हें बाद चालान उक्त आपराधिक कृत्यों के लिए माननीय न्यायालय से कठोरतम दंड से दण्डित किया जा सके |

प्रार्थी/परिवादी

राव धनबीर सिंह नंबरदार पुत्र स्व. राव देशराज सिंह, बाउम्र 66 वर्ष (वरीष्ठ नागरिक)
मकान नंबर 02 / आई / 40, आरके पुरम, हाउसिंग बोर्ड, कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड.; राज.; 303108; e-mail-dsraolambardar@gmail.com; Mo./WhatsApp नंबर–7015494018 (हरि.) 9928779775 (राज.)

प्रतिलिपी : उप पुलिस अधीक्षक कोटपूतली को आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित।

नोट:- परिवाद में दर्ज सम्बंधित रिकॉर्ड / दस्तावेज बरवक़्त अनुसंधान पेश कर दिए जाएंगे।

संलग्नक सूची (Annexures)

1. पत्रांक - जरिए इमेल/ राव/ परिवाद / 083 / 2024 दिनांक : 29 फरवरी, 2024 की फोटो प्रति।
2. पुलिस अधीक्षक जिला अलवर का पत्र क्रमांक: अप/ अल/म.अ./22 / 8116 दिनांक 07/10/2022 की फोटो प्रति।
3. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर द्वारा दिनांक 19.07.2023 को पारित आदेश की फोटो प्रति।
4. आवेदन पत्रांक- राव / आरटीआई / 102 /2024 दिनांक 21 मार्च, 2024 की फोटो प्रति।
5. जबाब रा.लो.सू.अ. के पत्रांक - 1299-1300 दिनांक 16.04.2024 की फोटो प्रति।
6. आदेश संख्यांक-994 दिनांक-15.04.2024. की फोटो प्रति।
7. डिस्पैच संख्या 991-92 दिनांक 15.04.2024 (इस्तगासा) की फोटो प्रति।
8. न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित अभिलेखों की फोटो प्रति।

Rao Dhanbeer Singh <raodhanbeersingh@gmail.com>

Gmail

पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड़ पर झूठी F.I.R. संख्या- 434 / 2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी. में दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एवं निर्दोष नागरिक को बेक़सूर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते FIR करने वाली संतोष देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह पुत्री श्री पूरण सिंह एवं उसके झूठे गवाह के विरुद्ध धारा 182, 211 आई.पी.सी. में विधिक कार्रवाई करने के विषय में।

1 message

Rao Dhanbeer Singh <raodhanbeersingh@gmail.com> Thu, Feb 29, 2024 at 7:15 PM
To: spkotputlibehror@gmail.com
Cc: co.bansur.alwar@gmail.com, shobansoor.alw@gmail.com

विषय :- पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड़ पर झूठी F.I.R. संख्या- 434 / 2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी. में दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एवं निर्दोष नागरिक को बेक़सूर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते FIR करने वाली संतोष देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह पुत्री श्री पूरण सिंह एवं उसके झूठे गवाह के विरुद्ध धारा 182, 211 आई.पी.सी. में विधिक कार्रवाई करने के विषय में।

संदर्भ:- कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला अलवर राजस्थान का पत्र क्रमांक: अप/ अल/म.अ./22 / 8116 दिनांक 07/10/2022 ।

प्रसंग:-

1. थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर द्वारा जारी अंतिम प्रतिवेदन संख्या 668/2022 दिनांक 11-10 -2022, बसीगे अदम वकू आमदन झूठ ।
2. **न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड का आदेश दिनांक 19/07/2023 द्वारा पीठासीन अधिकारी " श्रीमती सीमा कुमारी आर.जे.एस." ।**

कृपया संलग्न देखें

जागरूक नागरिक

(राव धनवीर सिंह)
राष्ट्रीय प्रभारी (आर.टी.आई. सैल)
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय ::- मकान नंबर - 02 / आई / 40,
आरके पुरम, हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान - 303108
email - raodhanbeersingh@gmail.com
मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर – 7015494018, 9928779775

083 झूठी FIR संख्या- 434-_ 2022 धारा 376_ 506 आईपीसी में दर्ज करने वाली संतोष देवी एवं उसके झूठे गवाह के विरुद्ध धारा 182, 211 आईपीसी में विधिक कार्रवाई करने के विषय मेंI.pdf
2300K

हुजुर मेरी पुकार सुनो !

Fiat Justitia Ruat Caelum

न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए !

पत्रांक - जरिए इमेल/ राव/ परिवाद / **083** / 2024   दिनांक :- 29 फरवरी, 2024

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया,
कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड राज०।

विषय :- पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड़ पर झूठी F.I.R. संख्या- 434 / 2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी. में दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एवं निर्दोष नागरिक को बेक़सूर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते FIR करने वाली संतोष देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह पुत्री श्री पूरण सिंह एवं उसके झूठे गवाह के विरुद्ध धारा 182, 211 आई.पी.सी. में विधिक कार्रवाई करने के विषय में।

संदर्भ:-कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला अलवर राजस्थान का पत्र क्रमांक: अप/ अल/म.अ./22 / 8116 दिनांक 07/10/2022 ।

प्रसंग:-

1. थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर द्वारा जारी अंतिम प्रतिवेदन संख्या 668/2022 दिनांक 11-10 -2022, बसीगे अदम वकू आमदन झूठ ।
2. **न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड का आदेश दिनांक 19/07/2023 द्वारा पीठासीन अधिकारी " श्रीमती सीमा कुमारी आर.जे.एस." ।**

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि श्रीमति संतोष देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह पुत्री श्री पूरण सिंह निवासी खेड़ा जोनाल तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी उपला बासना तहसील बानसूर जिला- अलवर हाल जिला कोटपुतली, बहरोड़ द्वारा अभियोग संख्या 434 / 2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी. पुलिस थाना बानसूर पर दर्ज करवाया गया था जिसके सन्दर्भ में निम्न निवेदन है:

1. यह की उक्त अभियोग दर्ज होने के बाद पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष एवं सम्पूर्ण अनुसन्धान किया गया और सम्पूर्ण अनुसन्धान से उक्त अभियोग झूठा पाया गया जिसपर मुकामी पुलिस बानसूर पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन/Final Report संख्या 668 दिनांक 11 /10 /2022 में बसिगे अदम वकू आमदन झूठ में किता की जा कर न्यायालय से भी स्वीकृती हेतु पेश किया गया था | उक्त रिकॉर्ड संलग्न है |

2. यह कि उक्त अंतिम नतीजा पर दिनांक 19/07/2023 को माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड द्वारा पूरी सुनवाई करने के बाद उक्त अनुसंधान को सही मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) अदम वकू झूठ में स्वीकार किया गया था जिसके उपरान्त कोई निगरानी या रिट भारत के किसी न्यायालय में मुस्तगिसा द्वारा दायर नहीं की गयी और प्रकरण शुमार रिकॉर्ड हो चुका है | आदेश की प्रति संलग्न है |

3. यह कि उक्त सम्पूर्ण घट्नाक्रम से जाहिर है कि उक्त प्रकरण की परिवादिया नें खुद के निजी विद्वेष एवं रंजिश को निकालने के लिए प्रकरण में सम्पूर्ण रूप से निर्दोष नागरिक को फंसाने एवं दंडित करवाने के लिए उक्त F.I.R. दर्ज करवाकर न केवल विद्वेषपूर्ण अभियोजन दर्ज करवाया है बल्कि मुकामी पुलिस को गलत एवं झूठी तहरीर/इत्तिला देकर राजकीय समय की बर्बादी भी की है जिसके बाबत उसके साथ उसके झूठे गवाहान भी दंडित किये जाने योग्य हैं |

4. यह कि उक्त प्रकरण के क्रम में पुलिस अधीक्षक, अलवर के कार्यालय पत्र क्रमांक:अप/अल/म.अ./22/8116 दिनांक 07/10/2022 द्वारा उक्त प्रकरण की परिवादिया के विरुद्ध धारा 182 / 211 आई.पी.सी. में कार्यवाही करने के निर्देश मुकामी पुलिस को फरमाए गए थे | आदेश की प्रति संलग्न है |

5. यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने " अमानुल्लाह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य इंडिया लॉलाइब्रेरी वेब संस्करण यह उत्पाद लाइसेंस प्राप्त है: डीएस राव Docid # IndLawLib/1022530 वाद के फैसले में यह निर्धारित कर रखा है कि 23 . "लोकस स्टेडी" अपराध को समाज के खिलाफ़ किया गया गलत माना जाता है। इसलिए राज्य द्वारा आरोपी व्यक्ति के खिलाफ़ मुकदमा चलाया जाता है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपराधी पर उसके द्वारा किए गए अपराध के लिये मामला दर्ज कराएं। ---- यदि राज्य इस संबंध में विफल रहता है और कार्रवाई के कारण साथ वास्तविक संबंध रखने वाली पार्टी, जो अदालत के

आदेश से व्यथित हैं को राज्य की दया पर और बिना किसी विकल्प के नहीं छोड़ा जा सकता है। न्याय पाने के लिए अपीलया अदालत? से संपर्क करें। आदि।

अतः यह दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि अभियोग संख्या 434 / 2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी. पुलिस थाना बानसूर के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक, अलवर के कार्यालय पत्र क्रमांक:आप/अल/म.अ./22/8116 दिनांक 07/10/2022 की अनुपालना में में संतोष देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह पुत्री श्री पूरण सिंह, निवासी खेड़ा जोनाल, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर राजस्थान, हाल निवासी: उपला बासना, तहसील बानसूर जिला- अलवर, हाल जिला कोटपुतली, बहरोड़ एवं उसके झूठे गवाह के विरुद्ध धारा 182, 211 आई.पी.सी. में विधिक कार्रवाई करने की कृपा करें |

दिनांक : 29.02.2024

जागरूक नागरिक

(राव धनवीर सिंह नम्बरदार)
राष्ट्रीय प्रभारी (आर.टी.आई. सैल)
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय ::- मकान नंबर 02 / आई / 40, आरके पुरम,
हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान - 303 108
email - raodhanbeersingh@gmail.com
मोबाइल नंबर – 7015494018

।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर (राज.) ।।

क्रमांक : अप/अल/म.अ./22/8116 दिनांक : 07—10—2022

थानाधिकारी थाना बानसूर,
जिला अलवर।

विषय :— अ.सं. 434/2022 धारा 376,506 आईपीसी पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अ.सं. 434/2022 पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर में पुलिस उप अधीक्षक, एससी/एसटी सैल जिला अलवर की अनुसंधानिक रिपोर्ट एवं अति. पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जिला अलवर की अनुशंषा के आधार पर नतीजा एफआर अदम वकु आमदन झूंठ में दिया जावे एवं परिवादिया के विरुद्ध धारा 182/211 आईपीसी में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न :— मूल पत्रावली उपरोक्त।

कृते पुलिस अधीक्षक,
जिला अलवर।

प्रतिलिपि :— वृताधिकारी वृत बानसूर जिला अलवर को सूचनार्थ।

कृते पुलिस अधीक्षक,
जिला अलवर।

FR- 648/22
11.10.22

प्रमाणित
पुलिस थाना बानसूर
जिला कोटपुतली-बहरोड़ (राज०)

29/2/24

न्यायालय ... नकल प्रमाणित प्रतिलिपी ... मु० नं० ... 378/22

प्रति हस्ताक्षरित
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
बानसूर, जिला अलवर (राज०)

न्यायालयः वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर, जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सीमा कुमारी, आर.जे.एस

परिवादिया संतोष देवी
प्रकरण संख्या 378/22

दिनांकः–19.07.2023

परिवादिया मय अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रसंज्ञान सुनी गयी। पत्रावली का अलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में परिवादिया संतोष देवी ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना बानसूर के समक्ष इस आशय की पेश की "कि प्रार्थिया बानसूर की रहने वाली है। तीन साल पूर्व एक व्यक्ति सतीश पुत्र प्रताप से मिली, जो प्रार्थिया का परिचित हो गया। सतीश प्रार्थिया को बच्चे होने का बहाना बनाकर कभी मंदिर में तो कभी दवाईयां दिलवाने के लिए लेकर जाता था। प्रार्थिया के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर कई बार जबरन अवैध संबंध बनाए। इस दौरान सतीश ने प्रार्थिया की वीडियो क्लिपिंग भी बना ली। प्रार्थिया ने विरोध किया तो कहां कि तेरे को बच्चा हो जायेगा। सतीश ने प्रार्थिया के हाल निवास पर आकर भी कई बार गलत काम किया। प्रार्थिया ने सतीश को बीस हजार रूपए नगद दिए तथा दो पड़ौसियों से प्रार्थिया ने उसको भैस दिलवाई। सतीश से जब प्रार्थिया ने उक्त रकम वापस मांगी तो उसने धमकी दी कि तेरा विडियो वायरल कर दूंगा............आदि–आदि। उक्त पर मु0नं0 434/2022 दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान एफआर अदम वकू झूठ में पेश की गयी। जिसके विरोध में परिवादी की ओर से नाराजगी याचिका पेश की गयी और नाराजगी याचिका के समर्थन में परिवादिया ने स्वयं को गवाह सी0ड0–1 के रूप में परीक्षित करवाया अन्य गवांह सी0ड0–2 वीरबल, सी0ड0–3 वाबूसिंह, सी0ड0–4 बिल्लू, सी0ड0–5 निहाल सिंह, सी0ड0–6 लिछमी, सी0ड0–7 मीना, सी0ड0–8 मुकेश को परीक्षित करवाया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बानसूर, जिला अलवर (राज०)

सत्यप्रति
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
बानसूर, जिला अलवर (राज०)

न्यायालय निम्न आधारों पर प्रस्तुत एफआर को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है:–

प्रथमः– परिवादिया संतोष देवी द्वारा पेश तहरीरी रिपोर्ट में परिवादिया ने आरोपी सतीश पर प्रथमतः यह आरोप लगाया है कि उसने बच्चा होने के बहाने से परिवादिया के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में पाया कि परिवादिया संतोष का तीस–बतीस साल पहले दलीप सिंह से विवाह हुआ। दिलीप सिंह की दूसरी पत्नी से एक पुत्र धर्मेन्द्र है तथा दिलीप सिंह के दस–बारह साल के पोता–पोती है। परिवादिया संतोष को उसके पति दिलीप ने सतीश के साथ अवैध संबंध के चलते छोड़ दिया है। न्यायालय का मत है कि विवाह के तीस–बतीस साल बाद बच्चा होने के आश्वासन पर किसी व्यक्ति के साथ संबंध रखना लोक व्यवहार की दृष्टि से सहज और स्वाभाविक नहीं है। विशेष रूप से तब जबकि परिवादिया संतोष की मां सी0ड0–6 लिछमी ने न्यायालय में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसकी बेटी की शादी पैंतीस साल पहले हो गयी थी। शादी के पांच–छह साल बाद संतोष को खूब डॉक्टरों को दिखाया, दवाईयां दिलवायी, देवी–देवताओं के खूब धोक लगवाई, परंत उसके बच्चा नहीं हुआ। यह महत्वपूर्ण है कि परिवादिया संतोष की मां लिछमी सी0ड0–6 ने यह भी कथन किया है कि संतोष तीन चार दिन सतीश के साथ बावल रही थी, इसलिए उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था। सामान्य रूप से विवाह के पांच–दस वर्षो के भीतर बच्चा होने के लिए प्रयास किया जाना स्वाभाविक है, परंतु तीस–पैंतीस साल की शादी के उपरांत जबकि घर में पोता–पोती मौजूद है, स्वयं के बच्चे के लिए प्रयत्न करना या ऐसे आश्वासन पर कृत्य करना का तथ्य कतई विश्वसनीय नहीं है।

द्वितीयः– परिवादिया संतोष ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में आरोपी सतीश के संबंध में कथन किया कि उसने परिवादिया के भोलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस संबंध में परिवादिया के 164 सीआरपीसी के बयान महत्वपूर्ण है, जिसमें परिवादिया ने सशपथ कथन किया कि "सतीश मुझे अपने घर की बिरवानी की तरह रखता था। मेरा दीमाग ठिकाने पर नहीं था। उसने मुझ पर जादू वगैरह कर रखा था, इसलिए मैंने मना नहीं किया।" परिवादिया ने अपने बयानों

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बानसूर, जिला अलवर (राज0)

में आगे कथन किया है कि इसी दौराने उसने अपने गांव से कई भैंसें आरोपी सतीश को दिलवायी व आरोपी सतीश को कम से कम पांच लाख रूपए दिलवाए।

न्यायालय का मत है कि परिवादिया के दोनों कथन गंभीर विरोधाभासी है। एक तरफ वह स्वयं पर जादू–टोने का प्रभाव होने का कथन करती है, जबकि दूसरी वह इसी दौरान पांच लाख रूपयों व भैसों वगैरह का लेनदेन करना भी कहती है। गवाह सी0ड0–7 मीना ने कथन किया कि मेरी बुआ का दीमाग बिल्कुल ठीक है। मेरी बुआ ने कभी भी छाड़–फूंक नहीं करवायी और ना ही कभी दीमाग की दवाईयां ली। बावल में मेरी बुआ एक कंपनी में काम करती थी। उक्त विरोधभासी कथनों के मद्येनजर परिवादिया के कथन विश्वसनीय नहीं है।

तृतीयः– परिवादिया संतोष ने तहरीरी रिपोर्ट में सतीश द्वारा उसकी विडियो क्लिपिंग वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का आक्षेप भी किया है, परंतु पत्रावली पर ऐसी कोई विडियों क्लिपिंग नहीं है और ना ही विडियो क्लिपिंग के अस्तित्व के संबधं में कोई दस्तावेज या स्पष्ट साक्ष्य है। अतः उक्त आरोप प्रथम दृष्टया फौरी कथन मात्र है।

चतुर्थः– परिवादिया संतोष ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में अंकन किया है कि आरोपी सतीश ने मुझे डरा–धमका कर पांच लाख रूपए ले लिए। इस संबंध में परिवादिया के 164 सीआरपीसी के बयान महत्वपूर्ण है। गवाह ने अपने बयानों में कथन किया कि "मैंने सतीश से पैसे मांगे, क्योंकि मेरे पीछे जनता लगी है। मैंने सोचा राजीखुशी पैसे दे देगा, पर उसने नहीं दिए। इसलिए मैंने Complain कर दी।" परिवादिया संतोष के उक्त कथनों से परिवादिया द्वारा पेश तहरीरी रिपोर्ट के उद्देश्य (Motive) का पता चलता है। आरोपी सतीश द्वारा परिवादिया से पांच लाख रूपए लेने का कथन भी ज्यादा विश्वसनीय प्रकट नहीं होता, चूंकि स्वयं परिवादिया **सी0ड0–1 संतोष** ने न्यायालय में सशपथ कथन किया कि "मैंने बुआजी के लड़के की शादी में डेढ़ लाख रूपए सतीश को दिए थे। सतीश तीन–चार बार पैसे लेकर गया था। मैंने मेरे पीहर के आसपड़ौस के लोगों से पैसे उधार लिए थे, कुछ पैसे मेरे पास थे। मैंने मेरे भाई बीरबल से पैसे लिए थे। मेरे फूफा व बुआ के बेटे ने मेरे

सत्यप्रति

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बानसूर, जिला अलवर (राज०)

कहने पर सतीश को भैंस बिना पैसे ही दे दी थी। जबकि परिक्षत गवाह **सी0ड0–7 मीना**, जो परिवादिया की भतीजी है, ने सशपथ कथन किया कि ''संतोष मेरी सगी बुआ है। बुआ ने मुझे ससुराल में अपने साथ रखा था। मेरी बुआ ने फूफा दलीप के पैसे ही सतीश को दिए थे। पांच लाख रूपए दिए थे। मैंने पैसे देते हुए देखा था। पहले ढाई लाख दिए थे बाद में दो महीने बाद ढाई लाख रूपए दिए थे। बुआ ने फूफा से पूछकर पैसे दिए थे।''

परिवादिया द्वारा परिवाद के समर्थन में अनेक गवाह परीक्षित करवाए गए हैं, परंतु गवाह सी0ड0–7 मीना एक मात्र महत्वपूर्ण गवाह है। चूंकि उक्त गवाह अपने बाल्यकाल से विवाह तक परिवादिया के साथ रही है। अतः परिवादिया व इस गवाह की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास होने के मद्येनजर तहरीरी रिपोर्ट में अंकित यह तथ्य कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया से पांच लाख रूपए उधार लिए गए, विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है।

पंचमः– हस्तगत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादिया संतोष देवी द्वारा तहरीरी रिपोर्ट के समर्थन में जिन गवाहों को परीक्षित करवाया गया हैं, उनमें से गवाह सी0ड0–2 बीरबंल परिवादिया का भाई है, जिसने आरोपी सतीश द्वारा परिवादिया से मारपीट किए जाने के तथ्य की ताईद नहीं की है व कथन किया है कि मेरी जीजी संतोष ने पैसों के लिए सतीश पर कैस करवाया था। गवाह सी0ड0–3 बाबूसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि सतीश संतोष को नशे की दवाईयां देता था। यह एक ऐसा तथ्य है, जो स्वंय परिवादिया ने भी नहीं बताया है। सी0ड0–4 बिल्लू परिवादिया संतोष व उसके पति दिलीप की लड़ाई होने और परिवादिया के पति के कोई संतान होने के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है व कथन किया है कि उसने सतीश को कभी संतोष को मारते नहीं देखा। संतोष राजीखुशी सतीश के गांव खैरथल जाती थी। अन्य घटनाक्रम के संबंध में उक्त गवाह अनुश्रुत साक्षी है, जिसने परिवादिया के बताए अनुसार कथन करना कहा है। गवाह सी0ड0–5 निहाल सिंह ने समस्त घटनाक्रम वर्ष 2000 का होना बताया है, जबकि परिवादिया ने समस्त घटनाक्रम तहरीरी रिपोर्ट पेश करने से तीन वर्ष पूर्व अर्थात् वर्ष 2020 में होना बताया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बानसूर, जिला अलवर (राज0)

29/2/24

गवाह सी0डी0–6 लिछमी परिवादिया की मां है, जिसने कथन किया कि संतोष ने सारा पैसा सतीश को दे दिया। मुझे नहीं पता संतोष ने सतीश को कितना पैसा दिया। संतोष को उसके पति दलीप ने छोड़ दिया था। दलीप के छह–सात साल के पोता–पोती है। सी0डी0–8 मुकेश ने तहरीरी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद नहीं की है। इस प्रकार परीक्षित गवाहों ने तहरीरी रिपोर्ट में अंकित घटनाक्रम व आरोपों के संबंध में कोई स्पष्ट व विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है। परिवादिया के कथन भी कथन मात्र है, जिनकी संपुष्टि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य से नहीं हुई है।

अतः ऊपर की गयी विवेचना और पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्येनजर प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू झूठ में स्वीकार किया जाता है। मूल केस डायरी संबंधित थाने को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
थानागाजी, जिला अलवर (राज0)

सूचना का अधिकार

आवेदन आरटीआई की धारा 6(1) अनुरोधित सूचना / रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के बाबत.

ONLINE RTI

पत्रांक- राव / आरटीआई / **102** /2024 दिनांक:- 21 मार्च, 2024

श्रीमान राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड

1. चाही गई सूचना जिस कार्यालय से संबंधित है – **ए.** - कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड़ राज.
बी.- उप पुलिस अधीक्षक बानसूर
सी. - पुलिस थाना बानसूर जिला कोटपुतली-बहरोड़

2. आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाओं का विवरण - निम्न है :-
अभियोग संख्या - 434 / 2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी. पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड़ का दिनांक 19/07/2023 को माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड द्वारा फैसला / निर्णय होने के बाद जिस संबंध में निम्न सूचना है -

a. दिनांक 28 फरवरी, 2024 मुझे आवेदक की मेल आईडी raodhanbeersingh@gmail.com से श्रीमान पुलिस अधीक्षक की मेल आईडी spkotputlibehror@gmail.com पर विषय - पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड़ पर झूठी F.I.R. संख्या- 434 / 2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी. में दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एवं निर्दोष नागरिक को बेक़सूर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते FIR करने वाली संतोष देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह पुत्री श्री पूरण सिंह एवं उसके झूठे गवाह के विरुद्ध धारा 182, 211 आई.पी.सी. में विधिक कार्रवाई करने के विषय में प्रेषित किया गया था। उक्त परिवाद **कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोटपुतली-बहरोड़ द्वारा कि गई कार्यवाही की साफ-साफ अधिप्रमाणित प्रतिलिपिया।**

b. दिनांक 28 फरवरी, 2024 मुझे आवेदक की मेल आईडी raodhanbeersingh@gmail.com से श्रीमान पुलिस अधीक्षक की मेल आईडी co.bansur.alwar@gmail.com पर विषय - पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड़ पर झूठी F.I.R. संख्या- 434 / 2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी. में दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एवं निर्दोष नागरिक को बेक़सूर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते FIR करने वाली संतोष देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह पुत्री श्री पूरण सिंह एवं उसके झूठे गवाह के विरुद्ध धारा 182, 211 आई.पी.सी. में विधिक कार्रवाई करने के विषय में प्रेषित किया गया था। उक्त परिवाद **कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक बानसूर कोटपुतली-बहरोड़ द्वारा कि गई कार्यवाही की साफ-साफ अधिप्रमाणित प्रतिलिपिया।**

c. दिनांक 28 फरवरी, 2024 मुझे आवेदक की मेल आईडी raodhanbeersingh@gmail.com से श्रीमान पुलिस अधीक्षक की मेल आईडी shobansoor.alw@gmail.com पर विषय - पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड़ पर झूठी F.I.R. संख्या- 434 / 2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी. में दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एवं निर्दोष नागरिक को बेक़सूर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते FIR करने वाली संतोष देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह पुत्री श्री पूरण सिंह एवं उसके झूठे गवाह के विरुद्ध धारा 182, 211 आई.पी.सी. में विधिक कार्रवाई करने के विषय में प्रेषित किया गया था। उक्त परिवाद पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड़ द्वारा कि गई कार्यवाही की साफ-साफ अधिप्रमाणित प्रतिलिपिया।

3. आवेदन शुल्क रुपए 10/= ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है **(GRN: 0087354961 Payment Date: 21/03/2024 14:46:47)** जिसके कृपया आवेदन प्राप्ति संख्या से अवगत कराने के मेहरबानी करें।

आवेदक

21/3/24

(राव धनबीर सिंह नंबरदार)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
लीगल अंबित (कानूनी दायरा)
क्षेत्रीय कार्यालय ::- मकान नंबर 02 / आई / 40, आरके पुरम,
हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान - 303 108
email - raodhanbeersingh@gmail.com
मोबाइल नंबर – 7015494018

e-Challan

Police Department
Government of Rajasthan

GRN: **0087354961** | Payment Date: **21/03/2024 14:46:47**

Office Name: **S.P. Kotputli**
Location: KOTPUTALI-BEHROR
Period: 21/03/2024-To-31/03/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0055-00-105-01-00-RAJKAJ	10.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**10.00**

Ten Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:			
Full Name: **RAO DHANBEER SINGH**		Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):		City(Pincode):	KOTPUTLI(303108)
Address:RK PURM Housing board. Kotputli.		Remarks:102-RTI APP FEE SPIO Cum ADDL SP Ktp	

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	PNB GateWay(Credit/Debit Cards)	Bank CIN No:	**PNBG8735496121032024**
Date:	21/03/2024 14:46:47	Refrence No:	**19455627405**

Computer generated copy on : 21/03/2024 ***Courtsy : https://Egras.rajasthan.gov.in***

Gmail Rao Dhanbeer Singh <raodhanbeersingh@gmail.com>

आवेदन आरटीआई की धारा 6(1) अनुरोधित सूचना / रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के बाबत.

1 message

Rao Dhanbeer Singh <raodhanbeersingh@gmail.com> Thu, Mar 21, 2024 at 2:53 PM
To: addlspktpbhr@gmail.com

--
कृपया संलग्न देखें

निवेदक/प्रार्थी/परिवादी
(राव धनवीर सिंह)
राष्ट्रीय प्रभारी (आर.टी.आई. सैल)
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय ::- मकान नंबर - 02 / आई / 40,
आरके पुरम, हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान - 303108
email - raodhanbeersingh@gmail.com
मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर – 7015494018, 9928779775

---

2 attachments

102- अभियोग संख्या - 434 - 2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी. पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड़.pdf
187K

102-RTI APP FEE SPIO Cum ADDL SP Ktp.pdf
121K

e-Challan

Police Department
Government of Rajasthan

GRN: **0088635344** Payment Date: **25/04/2024 06:53:23**

Office Name: **S.P. Kotputli**
Location: KOTPUTALI-BEHROR
Period: 25/04/2024-To-30/04/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0055-00-105-01-00-RAJKAJ	12.00

Commision(-): 0.00
Total/NetAmount: **12.00**

Twelve Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:			
Full Name: **RAO DHANBEER SINGH**		Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):		City(Pincode):	KOTPUTLI(303108)
Address:RK PURM Housing board. Kotputli.		Remarks:102- Additional fees of your latter number 1299-1300 Dt 16-04-2023	

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	PNB GateWay(Credit/Debit Cards)	Bank CIN No:	**PNBG8863534425042024**
Date:	25/04/2024 06:53:23	Refrence No:	**19728030203**

Computer generated copy on : ***25/04/2024*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.rajasthan.gov.in***

कार्यालय
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
मुख्यालय एवं लोक सूचना अधिकारी जिला
कोटपूतली बहरोड
Email-addlspktpbhr@gmail.com PhoneNo-01421-249001

भीम BhIM भारत इंटीग्रेशन मिशन

सूचना का अधिकार

क्रमांकः–कोट.बह./आर.टी.आई./2024/303/1299-1300 दिनांक–16/4/24

श्री राव धनवीर सिंह निवासी मकान
नं0 02/आई./40 आरकेपुरम हाउसिंग बोर्ड
कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड (राज.) 303108

विषयः– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2024 को जरिये मेल इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आप द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र के बिन्दू सं. 1 से संबधित सूचना के संदर्भ में अपराध सहायक कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोटपूतली–बहरोड के पत्रांक 1076 दिनांक 16.04.2020 के द्वारा कूल 3 पेज कि सूचना एंव बिन्दू सं. 2 से संबधित सूचना के संदर्भ में कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक बानसुर के पत्रांक 576 दिनांक 15.04.2024 के द्वारा कूल 2 पेज कि सूचना एंव बिन्दू सं. 3 से संबधित सूचना के सन्दर्भ में थानाधिकारी पुलिस थाना बानसुर के पत्रांक 994 दिनांक 15.04.2024 के द्वारा कुल 01 पेज की सूचना कार्यालय में प्राप्त हूई है। जो मूल ही प्रेषित है ।

अतः आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(3)(क) के अन्तर्गत ए–4 /ए–3 साईज के 2/– रूपये प्रति पेज की दर से 06 पेज का सूचना शुल्क 12/– रूपये भारतीय पोस्टल ऑर्डर/बैंकर चैक/डी.डी. द्वारा किसी भी कार्यदिवस में इस कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं। सूचनार्थ प्रेषित है।

16/4/24
(नेम सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
मुख्यालय एवं
लोक सूचना अधिकारी
जिला कोटपूतली–बहरोड

प्रतिलिपिः– 1. कैशियर कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है, कि आवेदक सूचना की फोटो प्रति के 12/–रू. जमा करावें तो जमा कर रसीद दे दी जावे।

-Sd-
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
मुख्यालय एवं
लोक सूचना अधिकारी
जिला कोटपूतली–बहरोड

नोटः–अगर आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कोटपूतली–बहरोड प्रथम अपीलीय अधिकारी को पत्र प्राप्ति से 30 दिवस में अपील कर सकते हैं।

3 पेज (303) (A)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोटपूतली- बहरोड (राज0)

क्रमांकः– अप / कोट.बह. / म0अ0 / 2024 / 1076 दिनांकः–16-4-2024

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंव लोक सुचना अधिकारी
जिला कोटपूतली बहरोड (राज0)

विषयः- परिवाद द्वारा श्री राव धनवीर बाबत अभियोग संख्या -434/2022 पुलिस थाना बानसुर के सम्बंध मे लोक सुचना अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सुचना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि परिवाद द्वारा श्री राव धनवीर बाबत अभियोग संख्या -434/2022 पुलिस थाना बानसुर के सम्बंध मे लोक सुचना अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सुचना कार्यालय हाजा से तैयार कर प्रेषित है।

1.दिनांक 28-2-2024 मुझे आवेदक की मेल आईडी raodhanbeersingh@gmail.com से श्रीमान पुलिस अधीक्षक की मेल आईडी spkotputli@gmail.com पर विषय पुलिस थाना बानसुर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड पर झुठी एफआईआर संख्या -434/2022 धारा 376,506 भादस मे दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एंव निर्दोष नागरिक को बेकसुर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते एफ.आई.आर. करने वाली संतोष देवी पत्नि श्री दलीप सिंह पुत्री श्री पूरण सिंह एंव उसके झुठे गवाह के विरूद धारा 182,211 आई.पी.सी. मे विधिक कार्यवाही करने के विषय मे प्रेषित किया गया था। उक्त परिवाद कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड द्वारा की गई कार्यवाही की साफ – साफ अधिप्रमाणित प्रतिलिपिया – श्रीमान जी प्रकरण मे धारा 182,211 भादस मे विधिक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 625 दिनांक 1-3-24 व स्मरण पत्र क्रमांक 850 दिनांक 28-3-24 के द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना बानसुर को निर्देशित किया गया है पत्रो की फोटो प्रति सलंग्न है।

(हस्ताक्षर)
अपराध सहायक
कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जिला कोटपूतली-बहरोड

।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोटपुतली बहरोड (राज0)।।

क्रमांकः– अप / कोट.बह. / म.अ. / 2024 / 625   दिनांकः– 1-3-24

थानाधिकारी
पुलिस थाना बानसुर ।

विषय.– परिवाद द्वारा राव धनवीर सिह बाबत अभियोग संख्या 434 / 2022 धारा 376,506 भादस के सम्बन्ध मे।

प्रसंग :– पत्रांक जरिए इमेल / राव / परिवाद / 083 / 2024 दिनांक 29.02.2024 की पालना मे ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि परिवाद द्वारा राव धनवीर सिह बाबत अभियोग संख्या 434 / 2022 धारा 376,506 भादस पुलिस थाना बानसुर के सम्बन्ध मे कार्यालय मे प्राप्त हुआ है जो मूल ही आपको भेजकर लेख है कि परिवाद मे अंकित तथ्यो के सम्बन्ध मे आवश्यक कानूनी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे व की गई कार्यवाही की रिपोर्ट इस कार्यालय मे भिजवाना सुनिश्चित करे ।
संलग्न— मूल परिवाद।

प्रमाणित

कृते पुलिस अधीक्षक
जिला कोटपुतली—बहरोड

स्मरण पत्र-01

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोटपूतली- बहरोड (राज0)

क्रमांक:– अप / कोट.बह. / म0अ0 / 2024 / 850 दिनांक:–28.3.2024

थानाधिकारी

पुलिस थाना बानसुर

जिला कोटपूतली बहरोड

विषय:- परिवाद द्वारा राव धनवीर सिंह बाबत अभियोग संख्या- 434/22 थाना बानसुर के सम्बंध मे।

प्रसंग:- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 625 दिनांक 1-3-2024 के सम्बंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रकरण संख्या:-434/2022 धारा 376,506 भादस पुलिस थाना बानसुर के सम्बंध मे पूर्व मे इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 625 दिनांक 1-3-2024 को जारी कर उक्त प्रकरण के सम्बंध मे परिवाद की मूल प्रति भेजकर परिवाद मे वर्णित तथ्यो के सम्बंध मे उचित विधिक कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत कराने वास्ते निर्देशित किया गया था जो आज दिनांक तक आपसे अपेक्षित है। अतः उक्त परिवाद के सम्बंध मे उचित एंव आवश्यक कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करावे।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

प्रमाणित

कृते पुलिस अधीक्षक

जिला कोटपुतली-बहरोड

2 पेज

303

B

।। कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड ।।

क्रमांक–576 दिनांक–15.04.2024

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
(मुख्यालय) एवं लोक सूचना अधिकारी
जिला कोटपुतली बहरोड

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुचना उपलब्ध कराने बाबत।
प्रसंगः–श्रीमान के कार्यालय पत्रांक 983 दिनांक–26.03.2024 की पालना में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रासांगिक पत्र की सन्दर्भ में निवेदन है कि आवेदक श्री राव घनवीर सिंह निवासी मकान् नं. 02/आई/40 आर.के. पुरम. हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड राज. द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई है जो निम्न प्रकार है।

1–दिनांक 28 फरवरी, 2024 मुझे आवेदक की मेल आईडी raodhanbeersingh@gmail.com से श्रीमान पुलिस अधीक्षक की मेल आईडी co.bansur.alwar@gmail.com पर विषय पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली–बहरोड़ पर झूठी F.I.R. संख्या–434/2022 धारा 376, 506 आई.पी.सी में दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एवं निर्दोष नागरिक को बेकसूर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते FIR करने वाली संतोष देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह पुत्री श्री पुरण सिंह एवं उसके झूठे गवाह के विरुद्ध धारा 182, 211 आई.पी.सी. में विधिक कार्रवाई करने के विषय में प्रेषित किया गया था। उक्त परिवाद कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक बानसूर कोटपुतली–बहरोड़ द्वारा कि गई कार्यवाही की साफ–साफ अधिप्रमाणित प्रतिलिपिया।............श्रीमान जी प्रकरण संख्या <u>434/2022</u> धारा 376,506 भादस थाना बानसूर में प्रकरण की मुस्तगीस के विरूद्व धारा 182,211 भादस का इस्तगासा तैयार कर सम्बंधित न्यायालय में पेश करने हेतु थानाधिकारी थाना बानसूर को इस कार्यालय से पत्र कमांक 310 दिनांक 01.03.2024 को जारी किया गया था जिसकी प्रमाणित प्रति सलंग्न है।

अतः चाही गई सुचना श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

(सत्यप्रकाश आरपीएस)
पुलिस उप अधीक्षक एवं
सहायक लोक सूचना अधिकारी
वृत बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड

1/3/24

।। कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड ।।

क्रमांकः—310 दिनांकः—01.03.2024

थानाधिकरी थाना बानसूर
जिला कोटपूतली बहरोड

विषय—प्रकरण संख्या 434/2022 धारा 376,506 भादस थाना बानसूर में इस्तगासा विरुध मुस्तगीासा व अन्य धारा 182,211 भादस में पेश करनें बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको जरिये पत्र लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में बाद अनुसंधान मामला एफ आर झुठ का पाया गया है। प्रकरण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला अलवर द्वारा एफ.आर. झुठ में किता कर मुस्तगीस व अन्य के विरूद्व धारा 182,211 भादस में इस्तगासा पेश करने के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी आप द्वारा एफ.आर. न्यायालय पेश करने के बाद भी धारा 182,211 भादस का इस्तगासा पेश न्यायालय नही किया गया है। इस सम्बंध में उच्चाधिकारीयो के आदेश बार—बार प्राप्त होने के उपरान्त भी इस्तगासा पेश नही किया गया हैं।

अतः आपको पुन निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में मुस्तगीस व अन्य के विरूद्व इस्तगासा धारा 182,211 भादस तैयार कर सम्बधित न्यायालय में पेश कर 02 योम में पालना करना सुनिश्चित करावें। देरी के आप स्वंय जिम्मेदार होगें।

वृत्ताधिकारी वृत्त बानसूर
जिला कोटपूतली बहरोड
(राजस्थान)

प्रमाणित
वृत्त कार्यालय, बानसूर
जिला-कोटपूतली-बहरोड़ (राजस्थान)

।। कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड ।।

क्रमांक- 994 दिनांक- 15/4/2024

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
मुख्यालय एवं लोक सूचना अधिकारी
जिला कोटपूतली-बहरोड

विषय-सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में।

प्रसंग-श्रीमान के पत्रांक कोट.बह./आर.टी.आई./24/303/983 दिनांक 26/03/2024 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषयांतर्गत निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री राव धनवीर सिंह निवासी मकान नं. 02/आई/40 आर.के. पुरम् हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड के द्वारा अभियोग संख्या – 434/2022 धारा 376,506 आई.पी.सी. पुलिस थाना बानसूर का दिनांक 19/07/2023 को माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर द्वारा फैसला/निर्णय होने के बाद के संबंध मे निम्न सूचना चाही है..............

01.दिनांक 28/02/2024 मुझ आवेदक की मेल आईडी raodhanbeersingh@gmail.com से श्रीमान पुलिस अधीक्षक की मेल आईडी spkotputlibehror@gmail.com पर विषय-पुलिस थाना बानसूर पर झूठी एफआईआर संख्या 434/2022 धारा 376,506 आईपीसी मे दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एवं निर्दोष नागरिक को बेकसूर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते एफआईआर करने वाली संतोष देवी पत्नि श्री दिलीपसिंह पुत्री पूरणसिंह एवं उसके गवाह के विरूद्ध धारा 182,211 आईपीसी मे विधिक कारवाई करने के विषय मे प्रेषित किया गया था। उक्त परिवाद कार्यालस पुलिस अधीक्षक कोटपूतली बहरोड द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही है...................उक्त सूचना कार्यालस पुलिस अधीक्षक कोटपूतली बहरोड से प्राप्त की जावे।

02. दिनांक 20/02/2024 मुझ आवेदक की मेल आईडी raodhanbeersingh@gmail.com से श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक बानसूर की मेल आईडी co.bansur.alwar@gmail.com पर विषय-पुलिस थाना बानसूर पर झूठी एफआईआर संख्या 434/2022 धारा 376,506 आईपीसी मे दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एवं निर्दोष नागरिक को बेकसूर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते एफआईआर करने वाली संतोष देवी पत्नि श्री दिलीपसिंह पुत्री पूरणसिंह एवं उसके गवाह के विरूद्ध धारा 182,211 आईपीसी मे विधिक कारवाई करने के विषय मे प्रेषित किया गया था। उक्त परिवाद कार्यालस पुलिस उप अधीक्षक बानसूर द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही है...................उक्त सूचना कार्यालस पुलिस उप अधीक्षक बानसूर से प्राप्त की जावे।

03. दिनांक 20/02/2024 मुझ आवेदक की मेल आईडी raodhanbeersingh@gmail.com से थानाधिकारी बानसूर की मेल आईडी shobansoor.alw@gmail.com पर विषय-पुलिस थाना बानसूर पर झूठी एफआईआर संख्या 434/2022 धारा 376,506 आईपीसी मे दर्ज करवाकर पुलिस विभाग का राजकीय समय बर्बाद करने एवं निर्दोष नागरिक को बेकसूर होकर भी सजा दिलवाने के इरादे के चलते एफआईआर करने वाली संतोष देवी पत्नि श्री दिलीपसिंह पुत्री पूरणसिंह एवं उसके गवाह के विरूद्ध धारा 182,211 आईपीसी मे विधिक कारवाई करने के विषय मे प्रेषित किया गया था। उक्त परिवाद थानाधिकारी बानसूर द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही है...................मुकदमा संख्या 434/2022 की परिवादिया के खिलाफ इस्तगासा अन्तर्गत धारा 182,211 आईपीसी जरिये डिस्पेच नं. 991-92 श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बानसूर के समक्ष पेश किया जा चुका है।

थानाधिकारी
पुलिस थाना बानसूर
जिला कोटपूतली-बहरोड (राज०)

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राज.

क्रमांक 991-92 दिनांक 15-04-2024

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि. महोदय,
अदालत बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 182,211 भादस.

---मुकदमा नं. 434/22 दिनांक 17-07-2024 धारा 376,506 भादस. थाना बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड

महोदय,

वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार है कि परिवादिया श्रीमति संतोष पत्नि दलीप जाति राजपूत पुत्री पुरण सिंह उम्र 40 साल निवासी खेडा थाना कोटकासिम हाल निवासी उपला बासना तह. बानसूर जिला अलवर ने मय अपनी माता श्रीमति लक्ष्मी उम्र 60 साल भाई बीरबल उम्र 35 साल के उप. थाना होकर एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की प्रार्थीया संतोष देवी पत्नी श्री दलीप पुत्री श्री पूरण सिंह उम्र - 40 साल , निवासी - खेडा जोनाल , तहसील कोटकासिम , जिला - अलवर , राजस्थान , हाल- नि ० - ऊपला बासना , तह ० बानसूर की रहने वाली हूं। जो कि प्रार्थीया को आज से करीबन तीन साल पूर्व एक व्यक्ति जिसका नाम सतीश पुत्र प्रताप सिंह , जाति - जाट निवासी- हरसोली , तहसील - किशनगढ , जिला - अलवर राजस्थान मिला जो प्रार्थीया का परिचित हो गया एवं प्रार्थीया के घर पर आने - जाने लग गया। जिससे प्रार्थीया सतीश को जानने लग गई और सतीश ने प्रार्थीया को बच्चे होने का बहाना बनाकर प्रार्थीया को कभी मंदिर में तो कभी दवाईयों दिलवाने के लिये लेकर जाता था तथा सतीश ने प्रार्थीया के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हुये कई बार जबरन अवैध संबंध बनाये। उस दौरान सतीश ने प्रार्थीया की विडीयों क्लिपिंग भी बना ली। प्रार्थीया ने विरोध किया तो कहां कि तेरे को बच्चा हो जायेगा। इसके बाद प्रार्थीया अपने हाल निवास पर आ गई तो सतीश प्रार्थीया के हाल निवास पर आकर भी कई बार गलत काम किया। इसके बाद सतीश ने प्रार्थीया को कहा कि मेरी पत्नी बिमार हैं , उसके ईलाज के लिये मेरे को बीस हजार रूपयों की जरूरत है। इस पर प्रार्थीया ने सतीश को बीस हजार रूपये नगद दिये तथा दो पड़ौसियों से प्रार्थीया ने उसको भैस दिलवाई। इस प्रकार सतीश प्रार्थीया से कई बार बहाने बनाकर लगभग पांच लाख रूपये ले गया। अब प्रार्थीया ने सतीश से उक्त रकम वापस मांगी तो उसने प्रार्थीया को आये दिन मोबाईल नम्बर -8764153648 से धमकी दी कि अगर मेरे से रूपये मांगे तो तेरा विडीयों वायरल कर दूंगा। जिससे तु कहीं भी मूंह दिखाने लायक नहीं रहेगा तथा तेरे को एवं तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। अत श्रीमान् के समक्ष रिर्पोट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की रिर्पोट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। आदि पर मुकदमा नं. 434/22 दिनांक 17-07-2022 धारा-376,506 IPC मे दर्ज कर थानाधिकारी रविन्द्र सिंह कविया पुलिस निरीक्षक द्वारा तफ्तीश शुरु की गई।

दौराने तफ्तीश परिवादिया व गवाहान के बयान लिये गये। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्सा मौका घटनास्थल कसी किया गया। परिवादिया श्रीमति संतोष के बयान 161 सीआरपीसी लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पीडिता श्रीमति संतोष का रैप संबंधी मेडिकल मुआयना कराया गया तथा पीडिता को नोटिस अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी का दिया जाकर जवाब प्राप्त किया गया। आरोपी के मोबाईल नं. 8764153648 की सीडीआर निकलवाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पीडिता श्रीमति संतोष के बयान 164 सीआरपीसी कराये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपियान से तफ्तीश की जाकर बयान लेखबद्ध किये गये।

मुकदमा हाजा मे अब तक की तफ्तीश हासला व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पाया गया कि 1-यह कि मुकदमा हाजा की पीडिता श्रीमति संतोष का पीहर गांव उपला बासना पुलिस थाना बानसूर मे है तथा जिसकी शादी आज से करीब 30-32 साल पहले श्री दलीप सिंह पुत्र श्री बालसिंह जाति राजपूत उम्र 60 साल निवासी खेडा थाना कोटकासिम जिला भिवाडी से हुई थी जो दलीप सिंह की दूसरी पत्नि है। जिससे दलीप सिंहके कोई संतान नही है। पूर्व पत्नि कृष्णा से दलीप सिंह के एक पुत्र है जिसका नाम धर्मेन्द्र सिंह है। जिसकी शादी किये करीब 10-12 साल हो गये। तब से ही संतोष जब उसका मन करता है एक दो दिन के लिये घर से चली जाती थी। परिवादिया के पति दलीप सिंह द्वारा पूछने पर बताती कि मेरे बच्चे नही हो रहे है। उसकी दवाई लेने जाती हु। इस कारण परिवादिया का पति दलीप सिंह किसी प्रकार का कोई शक संतोष पर नही करता था।

प्रमाणित

पुलिस थाना बानसूर
जिला कोटपुतली-बहरोड़ (राज०)

2-यह है कि अनुसंधान से पाया गया कि परिवादिया संतोष के पति दलीप सिंह ने अपने बयान मे बताया कि मेरी पत्नि संतोष करीबन 3 साल से संतोष मेरे पास नही रह रही है तथा मेरे खिलाफ दहेज व जायदाद के बंटवारे का मुकदमा कर रखा है तथा मेरी जानकारी मे आया कि मेरी पत्नि संतोष अपनी मर्जी से सतीश पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति जाट निवासी हरसोली के साथ बावल व बानसूर मे अपनी इच्छा से उसके साथ किराये के मकान मे रहती थी। इसलिये मैने अपनी पत्नि संतोष को तीन साल से छोड रखा है। इस कारण परिवादिया संतोष द्वारा लगाया गया आरोपी कि सतीश ने मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया सत्यता से परे है।

3-यह है कि अनुसंधान से पाया कि श्रीमति संतोष के फूफाजी बाबूसिंह के भाई के लडके बिल्ली की शादी आरोपी सतीश कुमार ने करीब चार पांच साल पहले गोवर्धनजी से अपनी जीजाजी महेन्द्र सिंह व उनके मित्र राजू उर्फ सरजीत यादव निवासी पाटन अहीर के कहने पर करवाई थी। तब से संतोष व सतीश की आपस से फोन पर बातचीत होने लगी तथा एक दूसरे के घर पर आने जाने लगे। ओर आपस मे रुपये के लेन देन भी करने लगे ओर दोनो मे नजदीकिया बढ गई। फिर संतोष द्वारा सतीश को खैरथल बुलाया और दोनो के द्वारा आपसी सहमति से ही मातोर रोड पर स्थित बाजरे के खेत मे प्रथम बार शारीरिक संबंध बनाये। अगर आरोपी सतीश द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाने केलिये ले जाया जाता तो परिवादिया मातोर खैरथल मे अपने आप को बचाने के लिये जरुर प्रयास करती। मगर दोनो के बीच शारीरिक संबंधी आपसी सहमति से बने है यह तफ्तीश से साबित है।

4-यह है कि संतोष के पास मे सतीश पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति जाट निवासी हरसोली व उसकी पत्नि श्रीमति मुकेश देवी दो तीन बार गांव खेडा मे घर पर आना पाया गया है। जिसकी पुष्टि परिवादिया के पति श्री दलीप सिंह के बयानो से भी होती ह । दलीप सिंह द्वारा पूछने पर संतोष ने मुकेश देवी को अपनी धर्म की बहन सतीश को उसका पति बताया है।

5- परिवादिया संतोष देवी ने बताया कि सतीश ने मुझको बच्चे होने का बहाना बनाकर मुझे कभी मंदिर मे तो कभी दवाई दिलवाने के लिये लेकर जाता था तथा मेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हुये कई बार जबरन अवैध संबंध बनाये और मेरी वीडियो क्लीपिंग भी बना ली। उक्त आरोप के संदर्भ मे तफ्तीश की गई तो पाया कि परिवादिया स्वयं ही बच्चे होने की दवाई अपनी मर्जी से लेने जाना पाया गयाहै। जिसकी पुष्टि परिवादिया के पति दलीप सिंह के बयान से होती है। सतीश द्वारा संतोष के साथ जबरन अवैध संबंध के बारे मे गवाहान श्री राजू उर्फ सरजीत, महेन्द्र सिंह, मुकेश कुमार, सुरेन्द्र सिंह, बाबूसिंह, श्रीमति रीना व दलीप सिंह से दरियाफ्त की तो किसी भी गवाहान ने जबरदस्ती संतोष के साथ अवैध संबंध बनाने की पुष्टी नही की। दोनो के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बनना पाया जाता है। परिवादिया द्वारा लगाया गया आरोपी की मेरे साथ जबरन संबंध बनाये गये है सत्यता से परे है।

6-यह है कि परिवादिया संतोष द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष किये गये कथन 164 सीआरपीसी मे आरोप लगाया है कि मेरी बुआजी के लडके बिल्ली की शादी कराई थी उसमे सतीश को 15 लाख रुपये दिये थे। उक्त आरोप के संदर्भ मे अनुसंधान किया तो गवाह राजू व महेन्द्र सिंह ने बताया कि खाना खर्चा के केवल 60 हजार रुपये दिये थे। इसके अलावा कोई रुपया नही दिया। उक्त 60 हजार रुपये भी गोवर्धन मे लडकी वालो को देना तफ्तीश से पाया गया है। इस तरह परिवादिया द्वारा लगाया गयाआरोप कि 15 लाख रुपये सतीश को दिये है सत्यता से परे है।

7-यह है कि परिवादिया द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सुचना रिपोर्ट, 161 सीआरपीसी व 164 सीआरपीसी के कथनो मे भारी विरोधाभाष है। अगर परिवादिया के साथ जबरदस्ती आरोपी सतीश द्वारा शारीरिक संबंध बनाये जाते तो परिवादिया प्रथम सुचना रिपोर्ट, 161 सीआरपीसी व 164 सीआरपीसी के बयानो मे अलग अलग नही बताती तथा प्रथम बार आरोपी द्वारा संबंध बनाये जाने पर उसी समय नजदीकी थाने पर आरोपी सतीश कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा देता।

8-यह है कि मुकेश देवी को संतोष व सतीश के रिश्ते की जानकारी हुई तो आरोपी व आरोपी की पत्नि मुकेश देवी के आपस मे संतोष को लेकर झगडा होने लगा तथा झगडा दिनो दिन बढने से आरोपी की पत्नि अपने बच्चो के लेकर बावल आ गई तथा कम्पनी मे आकर काम करने लगी तथा सतीश व संतोष भी बावल मे आकर रहने लगे और सतीश जो भी कमाता उसके संतोष अपने पास रखने लगी। जब आरोपी सतीश कुमार की पत्नि को इस बारे मे जानकारी हुई तो उसने कहा कि सतीश से मै रुपये मांगती हु। मेरे रुपये दिलवा मै पीछा छोड दुंगी। तब आरोपी की पत्नि मुकेश देवी ने अपने पति सतीश से पूछा तो उसने कहा कि अब मेरे उपर कोई रुपया नही है। और आरोपी सतीश कुमार ने संतोष से दूरी बनाना शुरु कर दिया। जिससे नाराज होकर परिवादिया ने सतीश से रुपये ऐंठने के लिये यह मुकदमा दर्ज करवाया जाना तफ्तीश से पाया गया है।

मुकदमा हाजा मे सम्पूर्ण तफ्तीश हासला व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पाया कि मुकदमा हाजा की परिवादिया संतोष तथा आरोपी सतीश कुमार के बीच शारीरिक संबंध दोनो की आपसी सहमति से थे जो लिव इन रिलेशनसिप की श्रेणी मे आता है। आरोपी सतीश द्वारा किसी भी प्रकार की परिवादिया से जबरदस्ती

प्रमाणित

पुलिस थाना बानसूर
जिला कोटपुतली-बहरोड़ (राज०)

शारीरिक संबंध नही बनाये गये है। तफ्तीश से मामला प्रमाणित नही पाया गया तथा परिवादिया द्वारा आरोपी सतीश से रुपये ऐंठने के लिये यह मुकदमा उसे दबाव मे ले हेतु झूठा दर्ज कराया गया है। अतः मुकदमा हाजा मे एफआर नं. 648/22 दिनांक 11-10-2022 बसिंगे अदम वकू आमदन झूठ मे किता की जाकर जरिये रोड नं. 183 दिनांक 31-10-2022 से माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजि. बानसूर मे पेश की जा चुकी है। मुकदमा हाजा मे परिवादिया श्रीमति संतोष द्वारा कथित आरोपी सतीश को क्षति करने के आशय से अपराध किये जाने का मिथ्या आरोप लगाया है।

अतः मुकदमा हाजा मे इस्तगासा अन्तर्गत धारा 182,211 भादस. का मुर्तिब किया जाकर वास्ते समायत सलूक कानूनी माननीय न्यायालय मे सादर पेश है।

थानाधिकारी
(अरुण सिंह उनि.)
पुलिस थाना बानसूर
जिला कोटपुतली-बहरोड़ (राज०)
थानाधिकारी
पुलिस थाना बानसूर, कोटपूतली बहरोड

प्रमाणित
पुलिस थाना बानसूर
जिला कोटपुतली-बहरोड़ (राज०)